



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-1821-औ0सं0-17/पाकालि/2020-159-ए/67

दिनांक 16 जुलाई, 2020

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,

विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को,

वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषय:- उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम -1966 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग-2 के पत्रांक 540/24-पी-2-20-1(121)/04 लखनऊ दिनांक- 03.07.2020 की प्रति संलग्न का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि

भवदीय,
Naft Mathur
(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
16.7.20

संख्या-1821-औ0सं0-17/पाकालि/2020/तददिनांक:-

प्रतिलिपि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त श्रम/सेवा संघों को उ0प्र0 शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग के निजी सचिव।
5. अपर सचिव-I/II/III/अराज0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/समस्त कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- ✓ 13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क0सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

संलग्नक :- यथोपरि

Naft Mathur
(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
16.7.20

1488 / MOS / 2020
9/7/20

अधिसूचना
आदेश

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1— उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2— उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3— उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ, 4— उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 5— कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6— मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 7— पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 8— पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ और 9— दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव ।

संख्या:- 540(1)/24-पी-2-20-1(121)/04, तददिनांक ।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.07.2020 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.540/24-P-2-2020-1(121)/2004, dated- 03-07-2020.

**UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
NO. 540/24-P-2-2019-1(121)/04
Dated, Lucknow: 03-07-2020**

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,

(ARVIND KUMAR)
PRINCIPAL SECRETARY

संख्या:- 540(2)/24-पी-2-20-1(121)/04, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (2) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (5) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- (7) सूचना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
- (8) विधायी अनुभाग-1
- (9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (10) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कम्पनी (केस्को), कानपुर।
- (11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- (12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- (13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- (14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- (15) गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।